भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 910

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

शुद्ध पेयजल के लिए प्रावधान

910. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पेयजल की कमी से निपटने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य योजना का कार्यान्वयन किया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, डिजाइन करने और निष्पादित करने का अधिकार है। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्य सरकारों को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कवरेज में सुधार लाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पेयजल आपूर्ति के कवरेज हेतु राज्यों को लगभग 18310.55 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की सेवा स्तर के साथ कुल 1,82,617 ग्रामीण बसावटों को कवर किया गया है। वर्ष 2017 के दौरान, मंत्रालय ने एनआरडीडब्ल्यूपी का पुनर्गठन इसे प्रतिस्पर्धी, परिणाम आधारित और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए किया है जिससे देश की ग्रामीण आबादी को पेयजल की आवश्यकताओं के लिए पूरा करने में मदद मिलेगी।

(ख) और (ग) पुनर्गठित एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्यों को पूर्व-अनुमोदित मानदंड के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। **पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यों को पेयजल आपूर्ति के कवरेज हेतु लगभग 18310.55 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए फ्लेक्सी फंड दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के 25% तक का उपयोग पेयजल संकट से निजात पाने के लिए उपायों हेतु किया जा सकता है।** इसके अलावा, मंत्रालय ने आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषित क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए मार्च, 2017 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत भी की जिसके माध्यम से समग्र एनआरडीडब्ल्यूपी के भीतर प्रभावित राज्यों को संकेन्द्रित वित्तपोषण प्राप्त हो रहा है।